

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प. 10 (130)/न.वि.वि./3/10

जयपुर, दिनांक 20.07.2010

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959 की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन जयपुर को खेतड़ी के नगरीय क्षेत्र जिसमें जिला झुन्झुनू के निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित है, का सिविक सर्वे करने एवं क्षितिज वर्ष 2031 तक के लिए मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है :-

क्र.स.	ग्राम का नाम	तहसील
1.	सिंधाना	— बुहाना
2.	बनबास	— बुहाना
3.	ढाणा	— बुहाना
4.	गोठडा	— खेतड़ी
5.	मानोता खुर्द	— खेतड़ी
6.	ढाणी भजनावाली	— खेतड़ी
7.	नानूवालीबावड़ी	— खेतड़ी
8.	राजोता	— खेतड़ी
9.	खेतड़ी	— खेतड़ी
10.	बागोर	— खेतड़ी
11.	टीलावाली (खेतड़ी से बीलवा जाने वाली सड़क के पूर्व का क्षेत्र)	— खेतड़ी

राज्यपाल की आज्ञा से

(पुरुषोत्तम बियाणी)
शासन उप सचिव (प्रथम)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में करवा कर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान) राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन जयपुर।
6. जिला कलक्टर, झुन्झुनू।
7. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, खेतड़ी।
8. रक्षित पत्रावली।

(प्रदीप कपूर)
उप नगर नियोजक